

# सामाजिक विज्ञान

(नागरिक शास्त्र)

अध्याय-2: संघवाद



## संघवाद का अर्थ

साधारण शब्दों में कहें तो संघवाद संगठित रहने का विचार है। (संघ = संगठन + वाद = विचार)

**संघवाद :-**

संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जिसमें दो स्तर की राजनीतिक व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है, इसमें एक संघीय (केन्द्रीय) स्तर की सरकार और दूसरी प्रांतीय (राज्यीय) स्तर की सरकारें।

## संघीय शासन व्यवस्था

- संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता का वितरण दो या दो से अधिक स्तर पर किया जाता है। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय सरकार व उसके विभिन्न छोटी इकाइयों के मध्य बँटी होती है।
- आमतौर पर इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर, राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती हैं।
- सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने – अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं।

## संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ

- संघीय व्यवस्था में सत्ता केन्द्रीय सरकार और अन्य सरकारों में बँटी होती है।
- केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर कानून बनाती है और राज्य सरकारें राज्य से संबंधित विषयों पर।
- दोनों स्तर की सरकारें अपने – अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं।
- संघीय व्यवस्था में दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं।
- अलग – अलग स्तरी की सरकार द्वारा एक ही नागरिक समूह पर शासन होता है।
- सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित।

- संविधान के मौलिक प्रावधानों में बदलाव का अधिकार दोनों स्तरों की सरकारों की सहमति से ही संभव होता है।
- अदालतों को संविधान और सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार।
- वित्तीय स्वायत्तता के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित।
- मूल उद्देश्य क्षेत्रीय " विविधताओं का सम्मान करते हुए देश की एकता की सुरक्षा और उसे बढ़ावा देना।

## संघवाद की बुराइयाँ

- केन्द्रीय सरकार का अधिक शक्तिशाली होना।
- संविधान संशोधन का अधिकार केवल केन्द्र को ही प्राप्त होना।
- संसद को अधिक अधिकार होना।
- धन संबंधी अधिकारों का केन्द्र के पास अधिक होना।
- केन्द्र सरकार का राज्य सरकारों के मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप।

## संघवाद के प्रकार

- साथ आकर संघ बनाना
- साथ लेकर संघ बनाना

**साथ आकर संघ बनाना :-** दो या अधिक स्वतंत्र इकाइयों को साथ लेकर एक बड़ी इकाई का गठन। सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता एक समान होती है। जैसे :- ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका।

**साथ लेकर संघ बनाना :-** एक बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन। केन्द्र अधिक शक्तिशाली होता है। जैसे :- भारत, जापान।

## एकात्मक और संघात्मक सरकारों के बीच अंतर

**एकात्मक शासन व्यवस्था :-**

- इसमें केन्द्र सरकार शक्तिशाली होती है।
- इसके अंतर्गत संविधान संशोधन केन्द्र सरकार कर सकती है।
- शक्तियाँ एक जगह पर केंद्रित होती हैं।
- इसमें एक ही नागरिकता होती है।
- केन्द्र सरकार राज्यों से शक्तियाँ ले सकती हैं।

### संघात्मक शासन व्यवस्था

- इसमें केन्द्रीय सरकार अपेक्षाकृत कमजोर होती है।
- इसमें केन्द्र सरकार अकेले संविधान संशोधन नहीं कर सकती है।
- शक्तियाँ कई स्तरों पर विभाजित होती हैं।
- कई संघीय व्यवस्था वाले देशों में दोहरी नागरिकता होती है।
- दोनों स्तर की सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र होती हैं।

## भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता

### बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता :-

भारत में बेल्जियम से मिलती – जुलती विशेषता यह है कि दोनों देशों में संपूर्ण देश के लिए एक संघ सरकार का गठन किया गया है।

### बेल्जियम से मिलती जुलती अलग एक विशेषता :-

अलग विशेषता यह है कि बेल्जियम की केन्द्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के दो क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई हैं, जबकि भारत में केंद्र सरकार अनेक मामलों में राज्य सरकार पर नियंत्रण रखती है।

## भारत में संघीय व्यवस्था

- एक बहुत ही दुखद और रक्तरंजित विभाजन के बाद भारत आजाद हुआ। आजादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़ों का भारत में विलय हुआ। इसमें संघ शब्द नहीं आया पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है।
- संविधान ने मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। संघ सरकार (केंद्र सरकार) और राज्य सरकारें। केन्द्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। बाद में पंचायत और नगरपालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया।

## भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बँटवारा

संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को तीन हिस्से में बाँटा गया है। ये तीन सूचियाँ इस प्रकार हैं :-

- संघ सूची
- राज्य सूची
- समवर्ती सूची

### संघ सूची :-

- संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं।
- पूरे देश के लिए इन मामलों एक तरह की नीतियों की जरूरत है।
- इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है।
- संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केन्द्र सरकार को है।
- पहले इसमें 97 विषय थे परन्तु वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं।

### राज्य सूची :-

- राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं।
- राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है।

- पहले इसमें 66 विषय थे। परन्तु वर्तमान में इसमें 61 विषय है।

### समवर्ती सूची :-

- समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे वे विषय हैं जो केन्द्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं।
- इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार, दोनों को ही है।
- लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केन्द्र सरकार द्वारा बनाया कानून ही मान्य होता है।
- पहले इसमें 47 विषय थे परन्तु वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं।

### अवशिष्ट शक्तियाँ

वे विषय जो ऊपर के तीन सूचियों में नहीं हैं तथा जिन पर कानून बनाने का अधिकार केन्द्र सरकार को है।

### संघीय व्यवस्था कैसे चलती है?

#### भाषायी राज्य :-

- भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की पहली और एक कठिन परीक्षा थी।
- नए राज्यों को बनाने के लिए कई पुराने राज्यों की सीमाओं को बदला गया।
- जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग उठी तो राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा।
- केन्द्र सरकार ने कुछ समय के लिए राज्यों के पुर्नगठन को टाला परन्तु हमारा अनुभव बताता है कि देश ज्यादातर मजबूत और एकीकृत हुआ।
- प्रशासन भी पहले की अपेक्षा सुविधाजनक हुआ है।
- कुछ राज्यों का गठन भाषा के आधार पर ही नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल व नृजातीयता की विविधता को रेखांकित एवं महत्त्व देने के लिए किया गया।

#### भारत की भाषा नीति :-

- भारत के संघीय ढाँचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई।
- भारत में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा न देकर हिंदी और अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है।
- अंग्रेजी को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है, विशेषकर गैर हिन्दी भाषी प्रदेशों को देखते हुए।
- सभी राज्यों की मुख्य भाषा का विशेष ख्याल रखा गया है।
- हिंदी को राजभाषा माना गया पर हिंदी सिर्फ 40 फीसदी (लगभग) भारतीयों की मातृभाषा है इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए।
- केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने।

#### केंद्र – राज्य संबंध :-

- सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी यह ज्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं।
- काफी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। इसका व्यावहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया।
- जब केंद्र और राज्य में अलग – अलग दलों की सरकारें रहीं तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी।
- यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। 1990 के बाद से यह स्थिति काफी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। चूँकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी।

- इससे सत्ता में साझेदारी और सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी।
- इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज्यादा प्रभावी है।

## गठबंधन सरकार

एक से अधिक राजनीतिक दलों के द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार, को गठबंधन सरकार कहते हैं।

## अनुसूचित भाषाएँ

वे 22 भाषाएँ जिन्हें भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में रखा गया है, अनुसूचित भाषाएँ कहते हैं।

## भाषाई राज्य क्यों

- राज्यों की भी अपनी राजभाषाएँ हैं। राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है।
- संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था पर अनेक गैर – हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए।
- तमिलनाडु में तो इस माँग ने उग्र रूप भी ले लिया था। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ – साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया।
- अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषी अभिजन को लाभ पहुँचेगा।
- राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहाँ लोग कोई और भाषा बोलते हैं।



- भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुँचने से बच गए।

## भारत में भाषायी विविधता

- 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 1500 अलग – अलग भाषाएँ हैं। इन भाषाओं को कुछ मुख्य भाषाओं के समूह में रखा गया है।
- उदाहरण के लिये भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, भीली और कई अन्य भाषाओं को हिंदी के समूह में रखा गया है। विभिन्न भाषाओं के समूह बनाने के बाद भी भारत में 114 मुख्य भाषाएँ हैं।
- इनमें से 22 भाषाओं को संविधान के आठवें अनुच्छेद में अनुसूचित भाषाओं की लिस्ट में रखा गया है। अन्य भाषाओं को अ – अनुसूचित भाषा कहा जाता है। इस तरह से भाषाओं के मामले में भारत दुनिया का सबसे विविध देश है।

## भारत में विकेंद्रीकरण

- भारत एक विशाल देश है, जहाँ दो स्तरों वाली सरकार से काम चलाना बहुत मुश्किल काम है। भारत के कुछ राज्य तो यूरोप के कई देशों से भी बड़े हैं। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश तो रूस से भी बड़ा है। इस राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बोली, खानपान और संस्कृति की विविधता देखने को मिलती है।
- कई स्थानीय मुद्दे ऐसे होते हैं जिनका निपटारा स्थानीय स्तर पर ही क्या जा सकता है। स्थानीय सरकार के माध्यम से सरकारी तंत्र में लोगों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित होती है। इसलिए भारत में सरकार के एक तीसरे स्तर को बनाने की जरूरत महसूस हुई।

## पंचायती राज


- गांव के स्तर पर स्थानीय शासन पंचायती राज कहलाता है।

- दिसम्बर 1992 में भारतीय संसद ने संविधान के 73 वें एवं 74 वें संशोधनों को मंजूरी प्रदान की। इसके तहत भारत में स्थानीय स्वशासन निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया एवं भारत में पंचायती राज व्यवस्था मजबूत बनाया गया।

## 1992 के पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख प्रावधान

- अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है।
- निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं।
- कम से कम एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
- हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है।
- राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है।

## ग्राम पंचायत



प्रत्येक गांव या ग्राम समूह की एक पंचायत होती है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। प्रधानअध्यक्ष सरपंच कहलाता है।

## पंचायत समिति

कई ग्राम पंचायत मिलकर (मंडल समिति / पंचायत) पंचायत समिति का गठन करती हैं। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं।



## पंचायतों की मुख्य परेशानियाँ

- जागरूकता का अभाव।
- धन का अभाव।
- अधिकारियों की मनमानी।
- जन सहभागिता में कमी।
- केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराना।
- चुनाव नियमित रूप से नहीं होते।

## जिला परिषद

किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद् का गठन होता है।

जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद् में उसे जिले से लोक सभा और विधान सभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं।

जिला परिषद् का प्रमुख इस परिषद् का राजनीतिक प्रधान होता है।

## नगर निगम

- इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएँ शहरों में भी काम करती हैं। छोटे शहरों में नगर पालिका होती है। बड़े शहरों में नगरनिगम का गठन होता है।
- नगरपालिका और नगरनिगम, दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं।
- नगरपालिका प्रमुख नगरपालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगरनिगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहते हैं।



## NCERT SOLUTIONS

## प्रश्न (पृष्ठ संख्या 27)

प्रश्न 1 भारत के खाली राजनीतिक नक्शे पर इन राज्यों की उपस्थिति दर्शाएँ: मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और गोवा।

उत्तर—



प्रश्न 2 विश्व के खाली राजनीतिक मानचित्र पर भारत के आलावा संधीय शासन वाले तीन देशों की अवस्थिति बताएँ और उनके नक्शे को रंग से भरे।



उत्तर -

प्रश्न 3 भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती-जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताएँ।

उत्तर -

**समान विशेषता-** भारत और बेल्जियम दोनों में मिलती-जुलती विशेषता यह है कि दोनों लोकतांत्रिक देश हैं। दोनों देशों में केंद्र सरकार राज्य सरकार से ज्यादा ताकतवर है। दोनों में त्रि-स्तरीय सरकार है।

**भिन्न विशेषता-** भारतीय संघ में कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। जैसे जम्मू-कश्मीर का अपना कानून है परन्तु बेल्जियम में सभी राज्यों के अधिकार सामान हैं। बेल्जियम की तरह भारत में विभिन्न संघ स्वयं आकर किसी राज्य या केंद्र से जुड़े नहीं हैं।

प्रश्न 4 शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या-क्या मुख्य अंतर हैं? इसके उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करें।

उत्तर -

क्रमांक	एकात्मक सरकार	संघात्मक सरकार
---------	---------------	----------------



(i)	एकात्मक सरकार में शासन का एक ही स्तर होता है। शक्तियों का केन्द्रीकरण होता है। केंद्र के पास सारी शक्तियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए जापान।	इस सरकार में दो स्तरों की सरकार होती है। संघात्मक सरकार में शक्तियों का विभाजन केंद्र व प्रान्त के बीच होता है। उदाहरण के लिए भारत।
(ii)	एकात्मक सरकार में संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी। उदाहरण के लिए इंग्लैंड।	संघात्मक सरकार में संविधान लिखित होना आवश्यक है क्योंकि शासन में शक्तियों का बँटवारा होता है। उदाहरण के लिए भारत।
(iii)	एकात्मक सरकार छोटे देशों के लिए उपयुक्त है।	संघात्मक सरकार बड़े देशों के लिए उपयुक्त है।
(iv)	इस व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य को विशेष आदेश नहीं दे सकती।	इस व्यवस्था में केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकार को आदेश दे सकती है। उदाहरण के लिए भारत में केंद्रीय सरकार प्रांतीय और स्थानीय सरकार को आदेश दे सकती है।
(v)	इसमें नागरिकों को एकहरी नागरिकता प्राप्त होती। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में।	इसमें नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती। उदाहरण के लिए अमेरिका में।

प्रश्न 5 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के दो महत्वपूर्ण अंतरों को बताएँ।

उत्तर – 1992 के विधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के दो महत्वपूर्ण अंतर निम्न प्रकार से हैं:

**1992 से पहले:**

- स्थानीय स्व-सरकारों उनको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर उगाहने का कोई अधिकार नहीं था।
- स्थानीय स्व-सरकार में लगातार समय पर चुनाव नहीं होते थे।
- स्त्रियों के लिए स्थानीय स्व-सरकारों में कोई स्थान आरक्षित नहीं थे।

### 1992 के बाद:

- स्थानीय स्व-सरकारों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ छोटे-मोटे कर उगाहने का अधिकार दिया गया।
- इसके बाद ठीक समय पर अर्थात् हर एक 5 वर्ष बाद स्थानीय स्व-सरकारों में चुनाव करवाना लाज़मी कर दिया।
- कुल स्थानों में से 33% स्थान स्त्रियों के लिए स्थानीय स्व-सरकारों में आरक्षित किए गए।

प्रश्न 6 रिक्त स्थानों को भरें:

चूँकि अमरीका \_\_\_\_\_ तरह का संघ है इसलिए वहाँ सभी इकाइयों को समान अधिकार है। संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत \_\_\_\_\_ हैं। लेकिन भारत की संघीय प्रणाली \_\_\_\_\_ की है और यहाँ कुछ राज्यों को औरों से ज्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं।

उत्तर – चूँकि अमरीका सबको साथ लाने वाले तरह का संघ है इसलिए वहाँ सभी इकाइयों को समान अधिकार है। संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत अधिक शक्तिशाली हैं। लेकिन भारत की संघीय प्रणाली सबको जोड़ने की है और यहाँ कुछ राज्यों को औरों से ज्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं।

प्रश्न 7 भारत की भाषा नीति पर नीचे तीन प्रतिक्रियाएँ दी गई हैं। इनमें से आप जिसे ठीक समझते हैं उसके पक्ष में तर्क और उदाहरण दें।

**संगीता:** प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है।

**अरमान:** भाषा के आधार पर राज्यों के गठन ने हमें बाँट दिया है। हम इसी कारण अपनी भाषा के प्रति सचेत हो गए हैं।



**हरीश:** इस नीति ने अन्य भाषाओं के ऊपर अँगरेजी के प्रभुत्व को मजबूत करने भर का काम किया है।

उत्तर – संगीता का तर्क सबसे सही लगता है। भाषा का इस्तेमाल केवल एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिये ही नहीं होता बल्कि भाषा उस संस्कृति और सभ्यता का अहम हिस्सा होती है जिसे विकसित होने में हजारों साल लगते हैं। लोगों का अपनी भाषा के साथ भावनात्मक जुड़ाव होता है। भारत की भाषा नीति लोगों में दूसरों की संस्कृति के लिए सम्मान जगाने की कोशिश है और इससे भारत की एकता को मजबूत करने में मदद मिली है।

प्रश्न 8 संघीय सरकार की एक विशिष्टता है।

- a) राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकारों को देती है।
- b) अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बँट जाते हैं।
- c) निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं।
- d) सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बँट जाती है।

उत्तर – d) सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बँट जाती है।

प्रश्न 9 भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों में दर्ज कुछ विषय यहाँ दिए गए हैं। इन्हें नीचे दी गई तालिका में संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची वाले समूहों में लिखें।

- a) रक्षा
- b) पुलिस
- c) कृषि
- d) शिक्षा
- e) बैंकिंग
- f) वन
- g) संचार
- h) व्यापार

उत्तर –

संघीय सूची	रक्षा, बैंकिंग, संचार, विवाह
राज्य सूची	कृषि, पुलिस
समवर्ती सूची	शिक्षा, वन, व्यापार

### प्रश्न (पृष्ठ संख्या 28)

प्रश्न 10 नीचे भारत में शासन के विभिन्न स्तरों और उनके कानून बनाने के अधिकार क्षेत्र के जोड़े दिए गये हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही मेल वाला नहीं है?

(i)	राज्य सरकार	राज्य सूची
(ii)	केंद्र सरकार	संघीय सूची
(iii)	केंद्र और राज्य सरकार	समवर्ती सूची
(iv)	स्थानीय सरकार	अवशिष्ट अधिकार

उत्तर -

(iv)	स्थानीय सरकार	अवशिष्ट अधिकार
------	---------------	----------------

प्रश्न 11 सुमेलित कीजिए-

	सूची 1		सूची 2
1.	भारतीय संघ	a	प्रधानमंत्री
2.	राज्य	b	सरपंच
3.	नगर निगम	c	राज्यपाल

4.	ग्राम पंचायत	d	मेयर
----	--------------	---	------

उत्तर -

	सूची 1		सूची 2
1.	भारतीय संघ	a	प्रधानमंत्री
2.	राज्य	c	राज्यपाल
3.	नगर निगम	d	मेयर
4.	ग्राम पंचायत	b	सरपंच

प्रश्न 12 इन बयानों पर गौर करें:

(अ) संघीय व्यवस्था में संघ और प्रांतीय सरकारों के अधिकार स्पष्ट रूप से तय होते हैं।

(ब) भारत एक संघ है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज हैं और अपने-अपने विषयों पर उनका स्पष्ट अधिकार है।

(स) श्रीलंका में संघीय व्यवस्था है क्योंकि उसे प्रांतों में बाँट दिया गया है।

(द) भारत में संघीय व्यवस्था नहीं रही क्योंकि राज्यों के कुछ अधिकार स्थानीय शासन की इकाइयों में बाँट दिए गए हैं।

ऊपर दिए गए बयानों में कौन-कौन सही हैं।

(सा)	अ	ब	स
(रे)	अ	स	द
(गा)	अ	ब	-
(मा)	ब	स	-

उत्तर –

(गा)	अ	ब	-
------	---	---	---

SHIVOM CLASSES  
8696608541